

फा.सं.1/134(02)/2020-भ. -III

संघ लोक सेवा आयोग

भ.-III अनुभाग

अंतिम संवीक्षा / लघु सूचीयन विवरण

पद का नाम	उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी, गृह मंत्रालय में उप सहायक निदेशक (पुलिस विज्ञान) के एक पद पर भर्ती।	
विज्ञापन सं.	03/2021	
रिक्ति सं.	21020302313	
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	सामान्य (अनारक्षित)	अ.यो. - क + अ.यो. - ख - बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया।
<ul style="list-style-type: none">इस भर्ती मामले के संदर्भ में संवीक्षा तथा लघु सूचीयन विवरण पूर्व में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 02.02.2022 को अपलोड किए गए थे।उम्मीदवारों को दिनांक 17.02.2022 तक अपना पक्ष ई-मेल के माध्यम से रखने का अवसर प्रदान किया गया था।11 उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी की जांच कर ली गई है।01 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक सं.28) 'बढ़ाए गए मानदंड (एल ई सी) में कमी' के कारण अस्वीकार किया गया है। इस अभ्यावेदन की जांच उम्मीदवार के ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ की गई है और यह पाया गया है कि उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, बढ़ाए गए मानदंड (एल ई सी) के अंतर्गत उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।07 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक सं.50, 76, 110, 119, 138, 165 और 169), "लघु सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किए गए हैं। अभ्यावेदनों और उम्मीदवारों के ऑनलाइन भर्ती आवेदनों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, "लघु सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने" के अंतर्गत उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।02 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक सं.116 और 144) "अपूर्ण आवेदन" मानदंड के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने के संबंध में हैं। अभ्यावेदनों की जांच उम्मीदवार के ऑनलाइन भर्ती आवेदनों के साथ की गई है और यह पाया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, "अपूर्ण आवेदन" श्रेणी के अंतर्गत उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।		

- 01 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक सं.171) को “अधिक आयु” मानदंड के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। अभ्यावेदन और उम्मीदवार के ऑनलाइन भर्ती आवेदन कि जांच की गई है और यह पाया गया है कि उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, “अधिक आयु” मानदंड के अंतर्गत अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।
- तदनुसार, संवीक्षा में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है और वह निम्नानुसार अपरिवर्तित है:-

अपनाए गए मापदंड

(i) प्रारंभिक संवीक्षा, ओआरए प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट तथा उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर की गई है।

(ii) आवेदनों की संवीक्षा, पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

(iii) अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप में होने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी आवेदकों द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रारूप में जमा नहीं किए गए हैं, वहां उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।

(iv) शै.यो. - ख के लिए बार एसोसिएशन/माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र पर विचार किया गया है।

(v) ओआरए में दावा किए गए न्यायालय में वकालत करने के अनुभव के साथ-साथ एलएलएम डिग्री प्राप्त करने की अवधि को ‘अनुभव’ के तौर पर विचार किया गया है, यदि दोनों कार्यकलाप अर्थात् न्यायालय में वकालत करने की दावा की गई अवधि तथा एलएलएम योग्यता से सम्बन्धित कॉलेज / विश्वविद्यालय एक ही स्टेशन में हो।

(vi) विधि स्नातक में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम / कला स्नातक संबंधी पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, एलएलबी/कला स्नातक, विधि स्नातक आदि को शै.यो - क के लिए अपेक्षित के तौर पर विचार किया गया है।

(vii) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत

	करना पर्याप्त होगा।	
	(viii) आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी वचनबंध पर, जहां कहीं भी लागू हो, विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।	
	(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।	
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	04, 05, 09, 20, 56, 60, 67, 72, 94, 100, 101, 127 व 175	
लघु सूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अधिक आयु	51, 89, 131 व 171
	एलईसी	10, 28, 58 व 163
	अपूर्ण आवेदन	03, 12, 81, 109, 113, 116, 140, 144, 152, 157, 158 व 168

शेष सभी आवेदनों (वांछनीय योग्यता के संदर्भ में 'नहीं' के उल्लेख वाले आवेदनों सहित) को 'लघु सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने' की श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

परामर्शदाता/अवर सचिव (भ.-III)

संकेतक:

एल ई सी : बढ़ाए गए मानदंड में कमी